न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/86/2014

उनवान

1. कैलाश पिता गोकल बलाई निवासी काछोला, तहसील माण्डलगढ मृतक विधिक प्रतिनिधिः—
   1/1 भॅवर पिता कैलाश बलाई निवासी काछोला
   1/2 देवी लाल पिता कैलाश बलाई निवासी काछोला,
   1/3 भीमराज पिता कैलाश बलाई निवासी काछोला,
   1/4 शंकर पिता कैलाश बलाई निवासी काछोला,
   1/5 मु0 लाली पति कैलाश बलाई निवासी काछोला,
   1/6 इन्द्रा पुत्री कैलाश बलाई निवासी काछोला,
   1/7 चन्ता पुत्री कैलाश बलाई निवासी काछोला,
2. बालू पिता गोकल बलाई निवासी काछोला, तहसील माण्डलगढ
3. काली बेवा गोकल बलाई निवासी काछोला, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. भैरू पिता नारायण बलाई निवासी काछोला,
2. गोपाल पिता भोलु बलाई निवासी काछोला,
3. बख्तावर पित मोहन बलाई निवासी काछोला,
4. लाडु बेवा मोहन बलाई निवासी काछोला,
5. उदा पिता सोला बलाई निवासी काछोला,
6. गोरू पिता सोला बलाई निवासी काछोला,
7. रामु पिता सोला बलाई निवासी काछोला,
8. तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 76/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.7.2011

अधिवक्तागण :–

1. श्री राकेश चौहान, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओ पी पटवारी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

दिनांक 25.1.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, एवं 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काछोला तहसील माण्डलगढ में साबिक बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 917 एवं 920/26 मीन की आराजियात के खातेदार सोला पिता किशना बलाई राजस्व रेकार्ड में दर्ज थे। सोला पिता किशना बलाई निवासी काछोला का देहान्त हो गया है जिसके परिवार का सजरा निम्न प्रकार है–

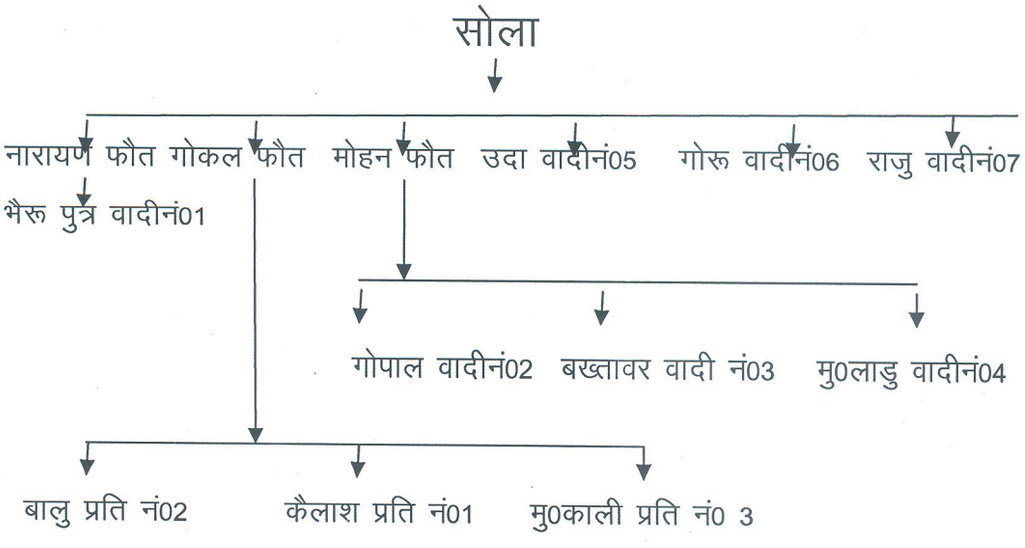

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. सोला की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 है। सोला का एक भाई सुरजा था जो लाऔलाद फौत हो गया व गोकल व सुरजा का एक संयुक्त परिवार था। उक्त परिवार का कर्ता खानदान व मुखिया सोला ही था जिससे सोला की समस्त आराजियात में वादी एवं प्रतिवादीगण का समान हिस्सा होकर सोला ने अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के बीच अपनी भूमि का मौके पर बंटवाडा कर अलग–अलग काबिज करा दिया जिसे करीब 40–45 वर्ष हो गये। साबिक आराजी नम्बर 917 एवं 920/26 मीन के हाल बन्दोबस्त में आराजी नम्बर 203 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 204 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, आराजी नम्बर 205 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व आराजी नम्बर 2709/2005 रकबा 1 बीघा दर्ज है। जो सोला पिता किशना बलाई के नाम साबिक बन्दोबस्त में दर्ज थी किन्तु हाल बन्दोबस्त में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर 203 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा गोकल पिता सोला के नाम दर्ज कर दी तथा इसके साथ साथ आराजी नम्बर 204 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 205 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा व आराजी नम्बर 2709/205 को भी गोकल पिता सोला के नाम इन्द्राज कर दी तथा गोकल की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त आराजियात कैलाश, बालु पिता गोकल व बाली बेवा गोकल के नाम दर्ज कर दी। जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार सोला के जीवन काल में ही काबिज चले आ रहे है तथा सोला ने उक्त आराजियात का अपने पुत्रों के बीच मौके पर बंटवाडा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज कर दिया। जिसको आज तक वादी एवं प्रतिवादीगण निरन्तर 40–50 वर्षो से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

काबिज चले आ रहे हैं। सुरजा के कोई औलाद नहीं होने से सोला ने अपने पुत्र गोकल को सुरजा का उत्तराधिकारी बनाया । गोकल के जीवन काल में गोकल ने कभी भी वादीगण के हक हिस्से एवं कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं की किन्तु गोकल की मृत्यु के पश्चात काफी समय बीत जाने के बाद वादग्रस्त आराजी नम्बर 2003 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 2004 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 2005 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा , आराजी नम्बर 2709/2005 रकबा 1 बीघा प्रतिवादी कैलाश, बालु पिता गोकल व मु0 काली बेवा गोकल बलाई के नाम दर्ज हो जाने के कारण उनके मन में बदयान्ति उत्पन्न हो गई तथा वह वादग्रस्त आराजियात को अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने एवं वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी करना प्रारंभ कर दिया । वादीगण ने दिनांक 20.9.2008 को प्रतिवादीगण को उक्त गलत इन्द्राज को संशाधित कराने एवं भूमि हक हिस्से अनुसार वादीगण के नाम कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने झगडा फसाद करना प्रारंभ कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर पिछले 40–50 वर्षो से कब्जा होने से वादीगण का एडवर्स पजेशन हो चुका है। अतः वादग्रस्त आराजी नम्बर 2003, 2004, 2005 , 2709/2005 का हिस्से अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को विक्रय, हस्तान्तरित, खुर्द बुर्द नहीं करें । यदि प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दे तो पुनः कब्जा दिये जाने की डिक्री वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की अपीलार्थीगण को यथासमय जानकारी नहीं हो सकी । अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा सूचित नहीं किये जाने से प्रकरण में अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जब अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि पर कृषि हेतु लोन लेने के लिए आवेदन किया जिस पर वादग्रस्त आराजियात के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । जिस पर अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया । परन्तु उनके द्वारा संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया गया । जिस पर नये अधिवक्ता को नियुक्त कर प्रकरण की पत्रावली प्राप्त की । तब जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। निर्णय की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः' अपील प्रस्तुत करने में हुंए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण/वादीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के कथनों को हुबहु मानते हुए बिना किसी ठोस साक्ष्य के भी दावा डिक्री कर दिया । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखते हुए एवं समस्त तथ्यों को अवगत नहीं कराते हुए वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय न भी केवल मात्र वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सही मानते हुए एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारिज की है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की तामील होने के उपरान्त अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से पैरवी करने के लिए अधिवक्ता को नियुक्त किया । जिस पर अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को कहा कि जब भी प्रतिवादीगण की न्यायालय में जरूरत होगी सूचना भिजवा दी जायेगी। जिस पर प्रतिवादीगण ने अपने अधिवक्ता के कहे कथनों पर विश्वास किया । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता प्रतिवादी ने दिनांक 6.5.2010 को नो इंस्ट्रक्शन कर दिया । जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नही थी। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण गरीब व्यक्ति होकर कमा खाने बाहर गावं चले गये। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा नो इंस्ट्रक्शन कर दिये जाने के बाद अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिये और वादी ने एकपक्षीय कार्यवाही के दौरान त्वरित गति से साक्ष्य पेश कर न्यायालय को मुगालते में रखते हुए दावा डिक्री करा लिया।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने नो इंस्ट्रक्शन किया इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं थी। इस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने क समुचित अवसर नहीं मिल पाया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण/वादीगण के कथनों पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की । जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री को निरस्त की जावे एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई का निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

10. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं कथन किया कि अपीलार्थीगण का दायित्व था कि वे अपने अधिवक्ता के सम्पर्क मे रहते एवं प्रकरण की समय–समय पर जानकारी प्राप्त करते। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

11. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने अधिवक्ता को नियुक्त किया । उसके उपरान्त स्वयं अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क में रहकर जवाब दावा प्रस्तुत करना चाहिये था एवं प्रकरण में हो रही प्रोग्रेस की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जानकारी रखनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु नियत था। स्वयं अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने नो इंस्ट्रक्शन किया जिस पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपने कथनों की ताईद में साक्ष्य प्रस्तुत की जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद माने जाने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 8.4.09 को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.6.09 नियत की गई। दिनांक 10.6.2009 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री आर सी सारस्वत को नियुक्त किया । जिस पर जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 4.8.09 को नियत की गई। दिनांक 4.8.09 को बार एसोसिएशन द्वारा कार्य का बहिष्कार किये जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.10.2009 को भी बार एसोसिएशन द्वारा कार्य का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बहिष्कार किये जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.12.2009 नियत की गई। उक्त तारीख पेशी दिनांक 30.12.2009 को अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब हेतु अवसर चाहा एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.3.2010 नियत की गई। दिनांक 8.3.2010 को अवकाश हो जाने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.5.2010 नियत की गई। उक्त पेशी पर पीठासीन अधिकारी के नहीं होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.7.2010 नियत की गई। उक्त पेशी दिनांक 6.7. 2010 को अधिवक्ता प्रतिवादी ने नो इन्स्ट्रक्शन अंकित किया जिस पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रसारित किये गये।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण गरीब व्यक्ति होकर कमा खाने गावं से बाहर गये हुए थे इसलिए उन्हें अपीलाधीन प्रकरण में उनके विरूद्धएकतरफा कार्यवाही की जानकारी नहीं हो सकी और वे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने के उपरान्त पक्षकारान के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना के तहत आवश्यक है। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया है। अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन करने की जानकारी अपीलार्थीगण को नही थी । यह न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि अधिवक्ता की गलती का नुकसान पक्षकार को नहीं मिलना चाहिये । नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.7.2011 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य सबूत का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर अज सिरे नो निर्णय पारित किया जावे । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.2.19 को उपस्थित रहे ।

15. निर्णय आज दिनांक 25.1.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

25/1/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा